प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है और इसे समय-समय पर यथा-संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा-शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 अ के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है।

3. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जो एक सांविधिक निगम है, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम के संबंध में सीएजी के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी को स्वतंत्र लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार सीएजी को राजस्थान वित्त निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंकेक्षकों के पेनल में से निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त होगी। इन समस्त निगमों के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रेषित किये जाते है।

4. इस प्रतिवेदन में उन मामलों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2011-2012 में हुई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये और वे भी हैं जो पिछले वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उनका उल्लेख पिछले प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 2012 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहाँ जरूरी था, सम्मिलित किया गया है।

5. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिये निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अन्तर्गत की गई है।